

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 09/2022-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का संशोधन करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्यांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्यांक 146/94 सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 575(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994	उक्त अधिसूचना में सारणी के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;
2.	अधिसूचना संख्यांक 147/94 सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 576(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994	उक्त अधिसूचना में सारणी के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।”;
3.	अधिसूचना संख्यांक 39/96 सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई,	उक्त अधिसूचना में,- (i) इस सारणी में क्रम संख्या 14, 15, 17, 18, 19, 24, 29,

	1996 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996	30, 31, 31क, 31ख, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा । (ii) पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;
4.	अधिसूचना संख्यांक 50/96 सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 302(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996	उक्त अधिसूचना के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;
5.	अधिसूचना संख्यांक 30/2004 सीमाशुल्क, तारीख 28 जनवरी, 2004 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 81(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004	उक्त अधिसूचना के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;
6.	अधिसूचना संख्यांक 81/2005 सीमाशुल्क, तारीख 8 सितंबर, 2005 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 569(अ), तारीख 8 सितंबर, 2005	उक्त अधिसूचना के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;
7.	अधिसूचना संख्यांक 5/2017 सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017 जिसे संख्यांक सा.का.नि.	उक्त अधिसूचना के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह

	89(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017	स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;
8.	अधिसूचना संख्यांक 16/2017 सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2017 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 394(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2017	उक्त अधिसूचना में सारणी के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;
9.	अधिसूचना संख्यांक 32/2017 सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 767(अ), तारीख 30 जून, 2017	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ (3) के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः

1. मूल अधिसूचना सं.146/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, सा.का.नि. 575(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 43/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 778(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

2. मूल अधिसूचना सं.147/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, सा.का.नि. 576(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 106/2008 -सीमाशुल्क, तारीख 22 सितंबर, 2008 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 671(अ), तारीख 22 सितंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
3. मूल अधिसूचना सं.39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, सा.का.नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 33/2019- सीमाशुल्क, तारीख 30 सितंबर, 2019 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 706(अ), तारीख 30 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
4. मूल अधिसूचना सं.50/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, सा.का.नि. 302(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 44/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 779(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
5. मूल अधिसूचना सं.30/2004-सीमाशुल्क, तारीख 28 जनवरी, 2004, सा.का.नि. 81(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 44/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 779(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
6. मूल अधिसूचना सं.81/2005-सीमाशुल्क, तारीख 8 सितंबर, 2005, सा.का.नि. 569(अ), तारीख 8 सितंबर, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 22/2016-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 216(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
7. मूल अधिसूचना सं.5/2017-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017, सा.का.नि. 89(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी
8. मूल अधिसूचना सं.16/2017-सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. 394(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड, (i) में प्रकाशित

की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 41/2020- सीमाशुल्क, तारीख 29 अक्टूबर, 2020 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 683(अ), तारीख 29 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

9. मूल अधिसूचना सं.32/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का.नि. 767(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड,(i) में प्रकाशित की गई थी